संख्या–भा.स. 47 / 14–2–2018–800(34) / 2018

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक /
नोडल अधिकारी,
उ0प्र0 लखनऊ।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग–2 **लखनऊ, दिनांक 26 मार्च, 2018**

विषय :– कानपुर में एन0एच0–91 किमी0 356 से 414 तक (मित्रसेनपुर से कानपुर मार्ग) 04 लेन चौड़ीकरण हेतु प्रभावित 93.975 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4800 वृक्षों व 17 पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या–8बी / यूपी / 06 / 24 / 2018 / एफसी / 199 दिनांक 23.03.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में कतिपय बिन्दुओं पर की गई आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित सूचनायें एवं तत्सम्बन्धी अभिलेखों को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

2– विषयगत प्रकरण में प्रस्ताव की 02 प्रति भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र दिनांक 23.03.2018 में अंकित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : मूलरूप में 02 प्रति।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
अनु सचिव।

Data D. SO.Nodal.GO